



राजस्थान सरकार

**राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर**

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ☎+91-141-2702477, 2702528  
E-mail :- raj.madarsa@rajasthan.gov.in, Website :-  
Website :- www.minority.rajasthan.gov.in/madarsaboard

क्रमांक: रामबो/जय/संस्था/2017-18 **6295**दिनांक **20/2/2018****कार्यालय आदेश**

संयुक्त शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के आदेश क्रमांक: प.3(2)/अल्प-वक्फ/2017/RK /00891 जयपुर दिनांक: 18.07.2018 के द्वारा राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधीन संचालित पंजीकृत मदरसों को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने के अनुमोदन उपरान्त निम्न मदरसों को तत्काल प्रभाव से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	जिला	मदरसा का नाम एवं पता	मान्यता का स्तर	पंजीयन संख्या
1	बारां	मदरसा अन्जुमन मदरसा इस्लामिया मिडिल स्कूल, मांगरोल, जिला बारां।	उच्च प्राथमिक	1170
2	बारां	मदरसा अंजुमन इस्लामिया, वार्ड नं. 29, मांगरोल रोड, जिला बारां।	उच्च प्राथमिक	800
3	नागौर	मदरसा सादात, पानी की टंकी के पास, मकराना, नागौर।	उच्च प्राथमिक	1737
4	नागौर	मदरसा मोहम्मदिया, वार्ड नं. 28 इकबालपुरा, त0 मकराना जिला नागौर।	उच्च प्राथमिक	2273
5	सीकर	मदरसा इस्लामिया अंग्रेजी स्कूल, मोहल्ला जिमिदारान, जिला सीकर।	उच्च प्राथमिक	643
6	सीकर	मदरसा इस्लामिया मिडिल स्कूल वार्ड नं0 10, पोस्ट सीकर तह0 सीकर जिला सीकर।	उच्च प्राथमिक	3057
7	सीकर	मदरसा सुलेमानिया बसारतुल उलूम, वार्ड नं. 1, सुलेमानिया कॉलोनी, न्यू रोशनगंज, जिला सीकर।	उच्च प्राथमिक	3036
8	भीलवाड़ा	मदरसा अंजुमन मदरसा अशरफिया, जगपुरा, त0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।	उच्च प्राथमिक	1247
9	टोंक	मदरसा कासमिया दीन सहाब, अलीगढ़, टोंक।	उच्च प्राथमिक	274
10	हनुमानगढ़	मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम मोहम्मदिया नोहर, कुम्हारों का मोहल्ला, वार्ड नं. 27, जिला हनुमानगढ़।	उच्च प्राथमिक	1557
11	सीकर	मदरसा इस्लामिया मिडिल स्कूल, (अब्बासियान) त0 सीकर, जिला सीकर।	उच्च प्राथमिक	3055
12	सीकर	मदरसा इस्लामिया मिडिल स्कूल, (कुरेशियान) त0 सीकर, जिला सीकर।	उच्च प्राथमिक	3056
13	पाली	मदरसा इस्लामिया फूरकानिया "रास" ग्रा0पो0 रास, त0 जैतारण, पाली।	उच्च प्राथमिक	1592
14	बाड़मेर	मदरसा फेजाने गौसिया रामदियो की बस्ती, त0 रामसर, जिला बाड़मेर।	उच्च प्राथमिक	3505

**मदरसा प्रबंधन कमेटी को निम्न निर्देशों की पालना करनी होगी :-**

1. पंजीयन एवं क्रमोन्नत नीति दिनांक 10.10.2014 एवं संशोधन नीति दिनांक 06.04.2018 में वर्णित मानदण्डों को बनाये रखना होगा।
2. मदरसे के नाम से बैंक में खाता खुलवाना होगा तथा मदरसे द्वारा मान्यता पत्रावली में दी गई 10000/- रुपये की सावधी जमा रखनी होगी।
3. राजस्थान मदरसा बोर्ड तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करनी होगी साथ ही मदरसे में अध्ययनरत बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति पंजीका तथा कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की उपस्थिति पंजीका संधारित करनी होगी।
4. राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरक्षण के समय उपस्थित रहकर मांगी गई सूचनाएं एवं रिकार्ड उपलब्ध कराना होगा।
5. राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई भौतिक सामग्री का स्टाक रजिस्टर संधारित करना होगा एवं विभिन्न योजनाओं में सहायतार्थ अनुदान राशि का रिकार्ड रखना होगा।
6. पंजीयन नीति दिनांक 10.10.2014 एवं दिनांक 06.04.2018 के उलंघन किये जाने पर किसी भी समय मदरसे की दी गई मान्यता/अनुबंध समाप्त किये जाने के लिए मदरसा बोर्ड अधीकृत होगा।

  
सचिव

राजस्थान मदरसा बोर्ड  
जयपुर

क्रमांक: रामबो/जय/संस्था/2017-18 **6295-324**  
प्रतिलिपि:-

दिनांक: **20/2/2018**

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जिला.....
4. सदर/सचिव, मदरसा.....
5. निजी पत्रावली मदरसा.....
6. रक्षित पत्रावली।

  
सचिव

राजस्थान मदरसा बोर्ड  
जयपुर